न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 142/2020

1. जयप्रकाश रणजीत बुढानियां पुत्र श्री रणजीसिंह जाति निवासी भनाई त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. रणजीतसिंह पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी भनाई त0 भादरा।
2. धर्मपाल पुत्र रणजीतसिंह जाति जाट निवासी भनाई त0 भादरा।
3. कृष्णादेवी पुत्री रणजीतसिह पत्नी राजेश कुमार जाति जाट हाल निवासी जान्डल बागड त0 जिला फतेहाबाद।
4. सरिता पुत्री रणजीतसिंह पत्नी बसन्तकुमार जाति जाट हाल निवासी जान्डल बागड त0 जिला फतेहाबाद।
5. भुरीदेवी पुत्री रणजीतसिंह पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट हाल निवासी जान्डल बागड त0 जिला फतेहाबाद।
6. रोशनीदेवी पुत्री रणजीतसिंह पत्नी कुलदीपसिंह जाति जाट हाल निवासी ढाबीखुर्द त0 जिला फतेहाबाद।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोहताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं 362/318 के खसरा सं0 291/1 की 1.4540है0, खसरा सं0 513 की 6.133है0, खसरा सं0 672 की 6.5760है0, खसरा सं0 677/2 की 1.012है0, खसरा सं0 729/512 की 1.075है0 कुल 16.2500है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादीया सं 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग वि[illegible]से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व [illegible] भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी जयप्रकाश रणजीत बु[illegible] व प्रतिवादी सं0 1 रणजीतसिंह व प्रतिवादी सं0 2 धर्मपाल बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा(हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 142/2020

अनवान :

1. जयप्रकाश रणजीत बुढानियां पुत्र श्री रणजीसिंह जाति जाट निवासी भनाई त0 भादरा।

:– वादी

व ना म

1. रणजीतसिंह पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी भनाई त0 भादरा।
2. धर्मपाल पुत्र रणजीतसिंह जाति जाट निवासी भनाई त0 भादरा।
3. कृष्णादेवी पुत्री रणजीतसिह पत्नी राजेश कुमार जाति जाट हाल निवासी जान्डल बागड त0 जिला फतेहाबाद।
4. सरिता पुत्री रणजीतसिंह पत्नी बसन्तकुमार जाति जाट हाल निवासी जान्डल बागड त0 जिला फतेहाबाद।
5. भुरीदेवी पुत्री रणजीतसिंह पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट हाल निवासी जान्डल बागड त0 जिला फतेहाबाद।
6. रोशनीदेवी पुत्री रणजीतसिंह पत्नी कुनदीपसिंह जाति जाट हाल निवासी ढाबीखुर्द त0 जिला फतेहाबाद।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग **: वादी**
वकील श्री रोहताश शर्मा**: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 16.12.2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं 362/318 के खसरा सं0 291/1 की 1.4540है0, खसरा सं0 513 की 6.133है0, खसरा सं0 672 की 6.5760है0, खसरा सं0 677/2 की 1.012है0, खसरा सं0 729/512 की 1.075है0 कुल 16.2500है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 1 रणजीतसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले वादी के दादा मोमनराम के नाम खातेदारी हुआ करती थी। मोमनराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 रणजीतसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही विनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 6 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 7 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 जयप्रकाश रणजीत बुढानियां के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भनाई खाता सं0 362/318 संवत 2074–77 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही भनाई के खाता सं0 324 संवत 2042 प्रदर्श 2, खसरा मिलान प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भनाई प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताविक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम भनाई के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। उनमें वाद भूमि वादी के दादा मोमनराम से विरासतन प्राप्त होना दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना सावित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में रणजीतसिंह के वारिसान में 2 पुत्र जयप्रकाश रणजीत बुढानियां व धर्मपाल व 4 पुत्री कृष्णादेवी, सरिता, भुरीदेवी व रोशनीदेवी व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 2 का बहिस्सा बराबर है। चुंकि प्रतिवादीया सं 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इस प्रकार वादभूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काविल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं 362/318 के खसरा सं0 291/1 की 1.4540है0, खसरा सं0 513 की 6.133है0, खसरा सं0 672 की 6.5760है0, खसरा सं0 677/2 की 1.012है0, खसरा सं[illegible]12 की 1.075है0 कुल 16.2500है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं[illegible] में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार [illegible] घोषित क्रिया जाता है। चुंकि प्रतिवादीया सं 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये [illegible]स्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी जयप्रकाश रणजीत बुढानियां व प्रतिवादी सं0 1 रणजीतसिंह व प्रतिवादी सं0 2 धर्मपाल बहिस्सा बराबर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner